न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– श्री नरेन्द्र गुप्ता आई०ए०एस०

प्रकरण संख्या– 18 / 2022

बउनवान

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् बारां जिला–बारां **(प्रार्थी)**

बनाम

मथुरालाल मीणा, उचित मूल्य दुकानदार, ग्राम पंचायत जारेला, पंचायत समिति –अन्ता, जिला–बारां (राज.) **(अप्रार्थी)**

प्रार्थनापत्र जनमॉग वसूली अधिनियम, 1952 के तहत

उपस्थिति :–1. श्री रूपचन्द सिंघावत अभिभाषक **(प्रार्थी)**
2. श्री संजय नागर अभिभाषक **(अप्रार्थी)**

आदेश दिनांक– 28.12.2022

1– प्रार्थी की ओर से जर्ये अभिभाषक जनमॉग वसूली अधिनियम,1952 के तहत प्रार्थनापत्र विरूद्व अप्रार्थी इस आशय का प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी द्वारा ग्राम जारेला, ग्राम पंचायत, जारेला, पंचायत समिति, अन्ता पर राष्ट्रीय पोषाहार सहायता पोषाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत 8.92 क्विंटल गेंहू गबन किये जाने पर राशि 6432/– रूपये वसूल किये जाने हेतु निवेदन किया गया है। प्रार्थी द्वारा रिक्वीजेशन प्रपत्र I प्रस्तुत करने पर दिनांक 19.12.2008 को प्रपत्र–2 धारा–4 के तहत जारी किया गया है।

2– प्रार्थना पत्र पेश होने पर जनमांग वसूली अधिनियम–1952 के तहत नियमानुसार दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को धारा–6 के तहत नोटिस जारी किया जाकर, धारा–4 का [illegible] किया गया।

3– अप्रार्थी की [illegible] जवाब इस आशय का पेश हुआ कि अप्रार्थी [illegible] बकाया राशि 643[illegible] दिनांक 18.10.2010 को मुख्य कार्यकारी अधिकारी, [illegible]ला परिषद, बारां के [illegible]मा करवा दी है, रसीद की छायाप्रति संलग्न प्रस्तुत है।

4– जवाब प्राप्त होने पर प्रकरण बहस हेतु नियत किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2023.01.03 17:04:30 IST
Reason: SelfAttested

5— हमने बहस उभयपक्ष विद्वान अभिभाषकगण की सुनी। दौराने बहस अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा राष्ट्रीय पोषाहार सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत किये गये विशेष अंकेक्षण में 8.92 क्विं. गेंहू का गबन पाये जाने पर प्रार्थी के स्तर से कई बार नोटिस जारी किये जाने के उपरांत भी अप्रार्थी द्वारा राशि 6432/— रूपये जमा नहीं करवाने पर प्रकरण प्रस्तुत किया गया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर, अप्रार्थी के विरूद्व उक्त राशि वसूल करने हेतु आदेश पारित किये जावे।

6— दौराने बहस अभिभाषक अप्रार्थी ने जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी के कार्यालय में बकाया राशि 6432/— रूपये दिनांक 18.10.2010 को जमा करवा दिये हैं तथा रसीद की छायाप्रति जवाब के साथ संलग्न प्रस्तुत की है। अतः अप्रार्थी के विरूद्व कार्यवाही निरस्त फरमावें।

7— हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पंचायत समितियों में संचालित राष्ट्रीय पोषाहार सहायता कार्यक्रम की नवम्बर 1995 से नवम्बर 1997 की अवधि की विशेष अंकेक्षण दल द्वारा की गई जांच में हेण्डलिंग एजेन्टों द्वारा प्रस्तुत प्राप्ति रसीदों से अप्रार्थी डीलर द्वारा प्रस्तुत पोषाहार कूपनों के आधार पर प्राप्त किये गये गेंहू की मात्रा में से समायोजन पश्चात शेष गेंहू की मात्रा के आधार पर वसूली योग्य राशि 6432/— रूपये निकाली गई है। जिसे अप्रार्थी द्वारा दिनांक 18.10.2010 को ही जमा करवाया जाना बताते हुए रसीद की छायाप्रति भी प्रस्तुत की है जो पत्रावली में संलग्न है।

6— अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी जमाशुदा राशि पुष्टि की शर्त पर खारिज किया जाता है। प्रार्थी अप्रार्थी द्वारा जमा करवाई गई राशि की पुष्टि अपने कार्यालय के लेखों से करे तथा यदि राशि जमा होना नही पाया जावे तो पुनः नये सिरे से कार्यवाही प्रस्तावित करें। आदेश की प्रमाणित प्रति मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, बारां को भिजवायी जावे।

आदेश आज दिनांक 28.12.2022 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला कलक्टर, बारां
जिला कलक्टर
बारां (राज०)

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2023.01.03 17:04:30 IST
Reason: SelfAttested